न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉं जिलाबून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–146 / 2020 दायर दिनांक: 09.09.2020

GCMS NO:- 2020/00290

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. लादूलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
2. कमलेश पुत्र प्रभू जाति धाकड निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
3. महावीर प्रभू जाति धाकड निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
4. हनुमान पुत्र प्रभू जाति धाकड निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
5. प्रसन्न बाई पत्नी प्रभू जाति धाकड निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी ।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. हेमराज पुत्र कल्याण जाति धाकड निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
2. धन्नालाल पुत्र कल्याण जाति धाकड निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
3. रामरतन पुत्र रामकुवांर जाति धाकड निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
4. मसरी बेवा माधो जाति धाकड निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
5. भंवरलाल पुत्र माधो जाति धाकड निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
6. जगदीश पुत्र राजूलाल जाति महाजन निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
7. राधेश्याम पुत्र राजूलाल जाति महाजन निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
8. ब्रजमोहन पुत्र राजूलाल जाति महाजन निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
9. दामोदर पुत्र राजूलाल जाति महाजन निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
10. रामप्रसाद पुत्र राजूलाल जाति महाजन निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
11. भंवरलाल पुत्र मांगीलाल जाति कोली निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
12. कन्हैयालाल पुत्र मांगीलाल जाति कोली निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
13. रामचन्द्र पुत्र मांगीलाल जाति कोली निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
14. ब्रजराज पुत्र राजूलाल जाति महाजन निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
15. कंचन पुत्री राजूलाल जाति महाजन निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
16. गीता पुत्री राजूलाल निवासी महाजननिवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
17. किशनलाल पुत्र रामदेव जाति कुम्हार निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
18. मोहनी बाई पुत्री रामदेव जाति कुम्हार निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
19. प्रसन्न बाई पुत्री रामदेव जाति कुम्हार निवासी ग्राम बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी ।
20. भूमिधारी तहसीलदार तहसील नैनवां जिला बून्दी।

——प्रत्यार्थीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थितिः–

पक्षकार प्रार्थीगण व प्रत्यार्थीगण

निर्णय दिनांक 02.10.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम बम्बूली पटवार हल्का बम्बूली तहसील नैंनवां के प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा सं. 877 रकबा 14–07 बीघा भूमि स्थित है। जमाबंदी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.13 15:27:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

दर्ज प्रभु की मृत्यु दिनांक 06.07.2020 को हो चुकी है जिसके वारिसान प्रार्थीगण 2 लगायत 5 है। यह कि ग्राम बम्बूली पटवार हल्का बम्बूली तहसील नैंनवां के प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 5 के सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा सं. 876 रकबा 15–02 बीघा भूमि स्थित है। यह कि ग्राम बम्बूली पटवार हल्का बम्बूली तहसील नैंनवां के प्रत्यार्थीगण 6 लगायत 16 के सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा सं. 869 रकबा 07–15 बीघा भूमि स्थित है। यह कि ग्राम बम्बूली पटवार हल्का बम्बूली तहसील नैंनवां के प्रत्यार्थीगण 17 लगायत 19 के सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा सं. 863 रकबा 02–08 बीघा, खसरा संख्या 864 रकबा 02–06 बीघा भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में आवागमन का एक अर्वाचीन कदमी रास्ता जो नक्शे में डोट–डोट के रूप में दर्शा रखा है, जो नैनवॉ से बामनगांव जाने वाले रास्ते से फटकर खसरा संख्या 866,869,876 एवं 864,863 की मेर पर होता हुआ खसरा सं. 877 में पहुचता है जिस पर से होकर हल, कुली, बैलगाडी एवं अन्य कृषि यंत्र लाने के काम में प्रार्थीगण लेते आ रहे है। जिसे परिशिष्ट ए में लाल स्याही से दर्शाया गया है। यह कि प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 5 एवं प्रत्यार्थीगण 17 लगायत 19 प्रार्थीगण का रास्ता अवरूद्व कर खंभे गाडकर तारबंदी करने लग गये है। इससे प्रार्थीगण का अपनी कुषि भूमि पर आना जाना खेती काश्त करना मुश्किल हो गया है यह प्रार्थना पत्र का कारण है। अतः प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 877 पर आने जाने व कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए व काश्त करने के लिए परिशिष्ट ए में लाल स्याही से प्रदर्शित रास्ते को 15 फीट चौडा कर राजस्व नक्शे व राजस्व रिकॉर्ड में तथा मौके पर कायम करवायें एवं अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाये की अप्रार्थीगण प्रार्थिया के रास्ते को अवरूद्व नहीं करें, सुखाधिकार में कोई हस्तक्षेप न तो स्वयं करें न ऐसा किसी अन्य से करवायें। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट ए,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र, बयान आदि पेश किये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जवाब/रिपोर्ट तलब किया गया। प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 2 के जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थीगण प्रत्यार्थीगण के खेत ख.स. 876 में होकर नवीन रास्ता बामनगांव रोड से होता हुआ ख.स. 869 के खेत जो अप्रार्थी सं. 6 लगायत 16 के खातेदारी का है, में से होकर ख. स. 877 तक निकाल कर अप्रार्थी स. 1,2 की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करना चाहते है। यह कि प्रार्थीगण ख. स. 877 में आवागमन हेतु पुराना रास्ता नैनवां बामनगांव पक्के डामर रोड ख.स. 1357/832 से फटकर पूर्वी साईड में स्थित ख.स. 862,863, एवं 861 के मध्य होता हुआ निरन्तर निर्बाध चालू है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रत्यार्थीगण 17 लगायत 19 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के पास रास्ता होने व आवागमन जारी रहने पर प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है जिसे परिशिष्ट ब में लाल रंग से दर्शाया गया है।

तहसीलदार नैनवां से रास्ते के सम्बन्ध में रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बम्बूली पटवार हल्का रजलावता तहसील नैंनवां के प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा सं. 877 पर पहुंचने के लिए मुताबिक रिकॉर्ड कोई भी रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण प्रस्तावित रास्ता अनुसार खसरा संख्या 865 में से रास्ता उपलब्ध कराने पर 20*1 गटठा, खसरा संख्या 862 में से 20*1 गटठा, खसरा संख्या 864 में से 20*1 गटठा, खसरा संख्या 863 में से 30*1 गटठा, खसरा संख्या 876 में से 10*1 गटठा अर्थात 05 बिस्वा भूमि उपयोग में आयेगी जिसे परिशिष्ट "क" में लाल स्याही से अंकित किया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेजव रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया तथा प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी । प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम बम्बूली पटवार हल्का रजलावता तहसील नैंनवां की प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा सं. 877 पर पहुंचने के लिए प्रस्तावित रास्ता अनुसार खसरा संख्या 865 में से रास्ता

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)
Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.13 15:27:18 IST
Reason: SelfAttested

उपलब्ध कराने पर 20*1 गटठा, खसरा संख्या 862 में से 20*1 गटठा, खसरा संख्या 864 में से 20*1 गटठा, खसरा संख्या 863 में से 30*1 गटठा, खसरा संख्या 876 में से 10*1 गटठा अर्थात 05 बिस्वा भूमि, जिसे परिशिष्ट "क" में लाल स्याही से अंकित किया गया है के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे । नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 02.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बूंदी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.13 15:27:18 IST
Reason: SelfAttested